रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 398] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1970/कार्तिक 11, 1892

No. 398] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1970/KARTIKA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 2nd November 1970

S.O. 3643.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Khetri Copper Project owned by Hindustan Copper Limited, Khetri, District Jhunjhunu and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Gopal Narain Sharma, as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

(i) Whether in view of the wage structure of the workmen employed in Khetri Copper Project, including Kolihan Copper Mines and Head Office at Khetri, determined recently in the Arbitration Award dated 11th August, 1970, the demand of the Rashtriaya Khetri Tamba Project Mazdoor Sangh for grant of Interim Relief in Dearness Allowance to the said employees of the Project equivalent to similar relief granted to Central Government employees in Finance Ministry's Office Memorandum No. F.8(5)-E.III(A)/70 dated 30th September, 1970 is justified; if not to what relief, are the workmen entitled?

(ii) Whether the demand of the Rashtriya Khetri Tamba Project Mazdoor Sangh for grant of wages for the period the strike launched from 00 hours of 23rd October, 1970 continues, is justified; if not to what relief, are the workmen entitled?

[No. 10/64/70/LRIV.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेशों

नई दिल्ली, 2 नवम्बर 1970

का० आ० 3643.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में खेतरी कोपर प्रोजेक्ट, जिसके मालिक हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, जिला खेतरी, झुनझुनू हैं के प्रबन्ध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7—क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल नारायण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

[अनुसूची

(1) क्या खेतरी, कोपर प्रोजेक्ट, कोलिहन कोपर माइन्स और खेतरी में मुख्यालय सहित में नियोजित कर्मकारों के मंजूरी गठन, जिसका हाल ही में मध्यस्थ निर्णय पंचाट दिनांक 11—8—70 द्वारा निर्धारण हुआ है को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय खेतरी तम्बा प्रोजेक्ट मजदूर संघ की प्रोजेक्ट के उक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 8(5)—ई III (ए) /70, तारीख 30 सितम्बर, 1970 द्वारा दी गई अंतरिम सहायता की भांति, इसी प्रकार के अनुतोष मंजूर करना न्यायोचित है और यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(2) क्या राष्ट्रीय खेतरी तम्बा प्रोजेक्ट मजदूर संघ की, 23 अक्टूबर, 1970, रात के बारह बजे से शुरु हुई हड़ताल, की कालावधि के लिए, जब तक हड़ताल जारी है मंजूरी देने की मांग न्यायोचित है और यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० 10/64/70—एल० आर०—4]

S.O. 3644.—Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 10/64/70-LRIV, dated the 2nd November, 1970, an industrial dispute between the management of Khetri Copper Project of Hindustan Copper Limited and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal, Jaipur, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said mines in connection with the said dispute.

[No. 10/64/70-LRIV.]

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

का० आ० 3644—यतः भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या 10/64/70-एल० आर०-4/ दिनांक 2 नवम्बर, 1970 द्वारा खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट आफ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद के सम्बन्ध में उक्त खानों में विद्यमान हड़ताल के जारी रहने पर प्रतिबन्ध लगाती है ।

[सं० 10/64/70—एल० आर० 4.]

आर० आनन्दकृष्ण, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970